भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 362
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

तटीय राज्यों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

362. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तटीय राज्यों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के अधिग्रहण के लिए सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 9484 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में उन मछुआरों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार ने 2020-21 और 2021-22 और चालू वर्ष के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज खरीदने के लिए उक्त राशि में से निधि प्रदान की है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश राज्य सहित तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के अधिग्रहण हेतु मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधान मत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत सहायता प्रदान की जाती है । पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के विगत दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) के दौरान 94.84 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से के साथ 327.60 करोड़ रुपए की कुल लागत से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 273 जहाजों के अधिग्रहण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव पीएमएमएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित किए गए हैं। उपर्युक्त उल्लिखित अनुमोदित प्रस्तावों में विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 15.26 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के साथ कुल 60 करोड़ रुपए की लागत से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 50 जहाजों के अधिग्रहण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को स्वीकृत किया गया प्रस्ताव शामिल है ।

*****